न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
17/2017	धारा 212 RTA	22.03.2017	24.01.2019

रामूराम पुत्र श्री हरीराम जाति नायक उम्र 57 वर्ष निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. रिद्धकरण
2. शंकरलाल
3. हीरालाल
4. मायादेवी

} पुत्र एवं पुत्री भगवानाराम जाति मोची समस्त निवासीगण झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से उपरोक्त अनुवान का दावा माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। यह कि प्रार्थी ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया का रहने वाला है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम झारिया का निवासी है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 12 ग्राम झारिया के स्थाई निवासी हैं तथा एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 की संयुक्त खातेदारी का खेत ख.नं. 594 तादादी 46 बीघा 4 विश्वा वाके रोही झारिया तहसील चूरू में स्थित है। यह कि ग्राम झारिया में प्रार्थी एवं अप्रार्थी ख्या 1 ता 12 के संयुक्त स्वामित्व कब्जा काश्त एवं मालिकाना हक की एक कृषि भूमि ख.नं. 594 तादादी 46 बीघा 4 विश्वा वाके रोही ग्राम झारिया में चली आ रही है जिस पर अपने अपने हिस्से पर सम्पूर्ण खातेदारों का कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थी का 20 हिस्सा अर्थात् एक बीघा कृषि भूमि पर मौके पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि दिनांक 05.10.2016 को पूर्व खातेदार धनेशकुमार से जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कय कर मौका पर काबिज होकर अपनी भूमि की काश्त उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। धनेशकुमार ने उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.10.2015 को प्रतिवादीगण माणकराम, सुगनाराम, देबूराम, बालचन्द, गुगनराम व प्रमोद से कय की थी।

यह कि प्रार्थी एक शान्तिप्रिय एवं पास के ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया का निवासी है जिस कारण हर समय वादगत अपने हिस्से की कृषि भूमि के अन्दर नहीं रह सकता जिस कारण सींव लगान आदि को लेकर हर समय विवाद की सम्भावना बनी रहती है। हालांकि प्रार्थी ने अपने हक एवं हिस्से की कृषि भूमि ख.नं. 594 तादादी 46 बीघा 4 विश्वा में से एक बीघा कृषि भूमि के पुख्ता सींव वगैरह डाल रखी है तथा लगभग पट्टियां आदि लगाकर तारबन्दी कर रखी है तथा निर्माण सामग्री डाल रखी है परन्तु अप्रार्थीगण रिद्धकरण, शंकरलाल, हीरालाल मायादेवी आये दिन प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण की धमकी देते हैं तथा सींव आदि क

उपखण्ड
चू

लेकर झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं तथा उलटे सीधे मुकदमे करने की धमकी देते हैं अर्थात् प्रार्थी के मालिकाना कब्जा काश्त की भूमि हड़पना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थी के पास इस प्रार्थना पत्र के सिवाय अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाने के कारण प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की हिफाजत हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। यह कि अप्रार्थीगण रिद्धकरण, शंकरलाल, हीरालाल, मायादेवी प्रार्थी के साथ सीमांकन एवं लगान आदि हेतु विवाद करते हैं जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादगत कृषि भूमि का शाता विभाजन करने हेतु दिनांक 14.03.2017 को कहा एवं कहलवाया तो अप्रार्थीगण खाता विभाजन कर अलग अलग लगान कायम करने हेतु स्पष्ट इन्कार हो गये। इन्कारी दिनांक से प्रार्थी को वादकारण हासिल हुआ है तथा प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार उपयोग कर्ता होने से अपनी भूमि की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनन अधिकारी है। यह कि प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति होने एवं निकट ग्राम रामपुरा पट्टा झारिया का होने एवं अप्रार्थीगण रिद्धकरण, शंकरलाल, हीरालाल, मायादेवी बदमाश एवं लालची किस्म के व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी अपनी भूमि की रक्षार्थ इनके खिलाफ अस्थाई व्यादेश प्राप्ति का कानूनन हकदार है। यह कि प्रार्थी खेत ख.नं. 594 तादादी 46 बीघा 4 विश्वा का रिकार्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्तकार मालिक उपयोग उपभोग करता होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थी के खेत ख.नं. 594 तादादी 46 बीघा 4 विश्वा में से एक बीघा कृषि भूमि जिसका प्रार्थी खातेदार मालिक काश्तकार काबिज उपयोग उपभोग कर्ता चला आ रहा है, में अप्रार्थीगण किसी तरह बाधा ना पहुंचायें तथा ना ही कोई ऐसा कार्य या उपकार्य करें व ना ही करावें जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़े।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण की आवश्यक प्रकृति के मध्यनजर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रर्थी के पक्ष का प्रतीत होने से अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.03.2017 तक का जारी किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से श्री भंवरसिंह राठौड़ एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रा0पत्र की मद सं. 1 गलत लिखी हुई होने के कारण स्वीकार नहीं। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी रामूराम के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 2 में लिखा है कि अप्रार्थी सं. 2 से 12 झारिया के निवासी हैं जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में केवल मात्र 5 ही अप्रार्थीगण सरकार समेत हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का खातेदारी का खेत है जो स्वीकार है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 3 गलत लिखी हुई होने के कारण स्वीकार नहीं। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के अलावा उक्त ख.नं. 594 तादादी 46 बीघा 4 विश्वा भूमि को कोई काश्त नहीं करता है। बाबूलाल, बालचन्द, गुगन, प्रमोद, माणक, देबूराम, सुगनाराम आदि सभी अपने हिस्से की भूमि को इकरारनामों के द्वारा मुस्लिम समाज को बेच चुका तथा मुस्लिम समाज उक्त कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर पक्के पुख्ता मकान बना कर निवास करते हुए चले आ रहे हैं। प्रार्थी रामूराम की उक्त भूमि पर कोई काश्त नहीं है। उक्त रामूराम एक बेनामी व्यक्ति है जो बाबूलाल

उपखण्ड अधिकारी
घूरू

से बैनामा करवा कर उक्त भूमि खातेदारी पर अपने मुस्लिम समाज के दोस्त गुलाब को आबाद करवाना चाहता है। बाबूलाल रामूराम दोनों ही बेनामी व्यक्ति हैं जो हरिजन होने के कारण अपने नाम से 20 हिस्सा भूमि का बैनामा करवा कर गुलाब को उक्त भूमि पर काबिज करवाना चाहते हैं। पहले भी गुलाब ने बाबूलाल की आड़ में ख.नं. 594 की भूमि जहां पर अप्रार्थीगण काबिज हैं उस भूमि पर कब्जा करना चाहा। जिसका अप्रार्थीगण ने तहसील कार्यालय चूरू में दावा कर गुलाब को बेदखल किया गया तथा पुनः गुलाब ने रामूराम की आड़ में कब्जा करना चाहा जिसका मुकदमा थाना पुलिस दूधवा खारा में किया गया जिसकी जांच डी.वाई.एस.पी. चूरू कर रहे हैं। प्रार्थी का उक्त ख.नं. 594 की 46 बीघा 4 विश्वा रोही मौजा झारिया की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा जिस व्यक्ति धनेशकुमार से भी तमुतम खरीद करना बतलाया है वह धनेश कुमार भी बेनामी व्यक्ति है। अप्रार्थीगण ने कभी भी धनेशकुमार को नहीं देखा। गुलाब मुसलमान व्योपारी का जैसे जैसे अविश्वास हरिजन खरीददार से बढता जाता है वहीं पर खरीददारी आगे आगे बढती जाती है। उक्त खसरा नम्बर की ज्यादातर भूमि में आबादी हो चुकी है। केवल मात्र अप्रार्थीगण ही काश्त करते हैं। गुलाब आदि प्रभावशाली व्यक्ति पैसे के बल पर अप्रार्थीगण गरीब हरिजन हैं, उनकी भूमि को बेनामी खातेदारों की आड़ में भूमि हड़पना चाहते हैं। धनेश द्वारा माणकचन्द, सुगनाराम, देबूराम, बालचन्द, गुगनराम व प्रमोद से खरीद करना बतलाते हैं। उक्त बेचने वाला का भी कोई कब्जा नहीं है। उक्त सुगनाराम, देबूराम आदि पंजाब में रहते हैं जो अपने हिस्से की खातेदारी भूमि इकरारनामों के जरिये बेच गये, जहां पर मुसलमान आबाद हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 गलत लिखी हुई होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी खरीदशुदा भूमि में रह नहीं सकता क्योंकि खरीददार प्रार्थी को यह भी पता नहीं है कि उसकी भूमि कहां है केवल मात्र प्रार्थी 20 विश्वा भूमि ही ख.नं. 594 तादादी 46 बीघा 4 विश्वा में खरीद करना बतलाया है। यह खेत बहुत बड़ा है और उसमें लोग काफी आबाद हैं। प्रार्थी ने जिस व्यक्ति से खरीद की उसका कोई बंटवारा किया हुआ नहीं था। केवल मात्र रंग देने के लिए यह इबारत लिखी गई है। रिद्धकरण अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा काश्त करते हैं। पहले गुलाब व्यापारी ने हड़प करने की कोशिश की जिसका मुकदमा कर बेदखल किया अब रामूराम की आड़ में गुलाब अपने पैसे लगाकर हड़पना चाहता है। प्रार्थी कोई इजाजत नहीं करना चाहता बल्कि गुलाब को उक्त भूमि दिलवाना चाहता है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 5 गलत लिखी हुई होने के कारण स्वीकार नही। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण के पास नहीं आया, न ही प्रार्थी को कोई कब्जा है प्रार्थी को खाता विभाजन को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि रामूराम प्रार्थी ने जिन लोगों से खरीद करना बतलाया है वह लोग पहले ही अपने हिस्से की भूमि इकरारनामा से बेच गये और खातेदारी रहने के कारण अपने चाचा के भाई रिद्धकरण आदि से नाराज होने के कारण तथा गुलाब आदि की राजनीति में फंस कर यह विवाद खेल खेल रहे हैं। बेनामी विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी रामूराम कोई विभाजन करवाने का हकदार नहीं है। जब प्रार्थी का कब्जा नहीं ख.नं. 594 में उसका कोई प्रवेश नहीं, इसलिए उसे दावा करने का कोई कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं है न प्रार्थी खातेदार है न प्रार्थी का कब्जा है न प्रार्थी की कोई मौके पर भूमि है ऐसे में प्रार्थी को दावा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है।

यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 6 गलत लिखी हुई होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थी बदमाश प्रकृति का व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण को गरीब समढ कर गुलाब व्योपारी से मिल कर बेनामी खरीददार बनकर यह भूमि ताकत के बल पर गरीब हरिजनों से हड़पना चाहता है। इसलिए प्रार्थी को अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह कि प्रा0पत्र की मद सं. 7 गलत लिखी हुई होने के कारण स्वीकार नहीं। प्रथम दृष्टया मामला ख.नं. 594 तादादी 46

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बीघा 4 विश्वा रोही मौजा झारिया में प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं। कोई कब्जा नहीं, कोई उपयोग उपभोग नहीं। खेत देबूराम आदि से धनेश का खरीद करना बतलाया है देबूराम आदि ने कभी अपने हिस्से की भूमि इकरारनामों से बेच दी। उनका ख.नं. 594 से कोई लेना देना नहीं है। केवल मात्र खातेदारी रहने के कारण गुलाब व्योपारी आदि ने मिल कर रामूराम प्रार्थी को मोहरा बना कर यह खेल खेलना चाहते हैं। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं उनका ही उक्त भूमि पर उपयोग व उपभोग है इसलिए प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बल्कि अप्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सुविधा का सन्तुलन वह भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता क्योंकि जब मौके पर उसका कब्जा नहीं केवल मात्र 20 हिस्सा भूमि खरीद कर लेने से ही बेनामी बैनामा से मालिक नहीं बन सकता। यदि अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करता है तो अप्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। आर्थिक नुकसान यदि प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा जबरन करता है तो अप्रार्थीगण को ही हानि होगी, प्रार्थी को नहीं क्योंकि जिनसे प्रार्थी खरीद करना बतलाया है उनकी अब कोई खातेदारी की भूमि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश होने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी रामूराम ने वादगत ख.नं. 594 में 1 बीघा कृषि भूमि पूर्व खातेदार धनेशकुमार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.10.16 को खरीदी जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 पेश की है। उक्त 1 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्य कि मौके पर आबादी बसी है कृषि भूमि नहीं है, के सम्बन्ध में कथन है कि इन्तकाल मौके की स्थिति देखकर ही दर्ज होता है। मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा है यदि किसी अन्य का कब्जा होता तो वह भी पक्षकार बनाये जाते। वादगत कृषि भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए बंटवारा का दावा व यह प्रार्थना पत्र लेकर आये हैं। अप्रार्थी ने अपने जवाब में धारा 183 बी आर.टी.ए. के तथ्य लिखे हैं कि यह अनुसूचित जाति की भूमि है जबकि मेरे खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही नहीं चली। मैं तो बस यह चाहता हूं कि ये मुझे काश्त करने से ना रोकें। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी सिद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मेरे हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत ख.नं. 594 तादादी 56 बीघा 4 विश्वा संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा आबादी के पास स्थित है इसलिए इस भूमि के लगभग सभी खातेदारों ने अपनी जमीनें बेच दी। प्रार्थी के उक्त भूमि में से केवल 1 बीघा भूमि खरीदी है परन्तु इनकी रजिस्ट्री में कोई आसा पासा नहीं बताया है कि इनका कब्जा कहां है। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में नियमानुसार प्रत्येक ईन्च में प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा होता है इसलिए किस खातेदार का कौनसा हिस्सा होगा, वह विभाजन के बाद तय होता है। प्रार्थी को पहले विभाजन करवाना चाहिए था। मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है क्योंकि अधिकांश भूमि पर आबादी बसी हुई है इसलिए मात्र विक्रय पत्र करवा कर जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के आधार पर सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अभिभाषक प्रार्थी ने पुनः कथन किया कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में आसा पासा नहीं बल्कि हिस्से होते हैं तथा प्रार्थी का दावा खाता विभाजन का ही है जिसमें विभाजन होने तक स्थगन चाहा गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम झारिया के ख.नं. 594 तादादी 46.04 बीघा में बाबूलाल पुत्र मालाराम जाति धाणक 50 हि. सा.देह रामूराम पुत्र हरीराम नायक 20 हि. सा.रामपुरा पट्टा झारिया बालचन्द पुत्र माणकराम 103.83 हि. रिद्धकरण पुत्र भगवानाराम 115.5 हि. गुगनराम पुत्र सुगनाराम 103.83 हि. प्रमोदकुमार पुत्र देबूराम 103.83 हि. शंकरलाल रिद्धकरण हीरालाल पि. भगवानाराम ब.हि.ब. 99 हि. व माया पुत्री भगवानाराम 16.50 हि. माणकराम सुगनाराम देबूराम पि. आशाराम ब.हि.ब. 311.51 हि. कौम मोची सा.देह खातेदार दर्ज हैं। बैनामा दिनांक 05.10.16 के अनुसार विक्रेता खातेदार धनेशकुमार ने अपनी 20 हिस्सा भूमि 36000/– में प्रार्थी रामूराम को विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र रजिस्टर्ड है। समझौता आपसी राजीनामा दिनांक 05.01.2012 में वादगत कृषि भूमि में से स्व. भगवानाराम के वारिसों के हिस्से में 7640 वर्गमीटर भूमि एवं शेष बची हुई 12969 वर्गमीटर भूमि माणकराम, सुगनाराम, देवीलाल, पुत्रगण आशाराम व बालचन्द पुत्र माणकराम, गुगन पुत्र सुगनाराम व प्रमोद पुत्र देवीलाल के हिस्से में आना अंकित है जिस पर सभी पक्षकारों के साथ कतिपय ग्रामीणजनों के हस्ताक्षर अंकित हैं।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 594 तादादी 46 बीघा 4 विश्वा रोही ग्राम झारिया संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा विभाजन का दावा इस न्यायालय में जेरकार है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के साथ–साथ कतिपय अन्य सह खातेदार भी मौजूद हैं जिनको प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी मात्र 20 हिस्सा अर्थात् 1 बीघा का खातेदार है तथा कृषि भूमि अविभाजित है इसलिए जब तक खाता विभाजन होकर प्रत्येक खातेदार का खाता पृथक् कायम नहीं हो जाता तब तक वादगत कृषि भूमि के सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। नियमानुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक भू–भाग पर प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा माना जाता है। सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से उनके खातेदारी अधिकार प्रभावित होने जाहिर हैं इसलिए सह खातेदारों के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। वैसे भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया खाता विभाजन का अनुतोष उसे मूल दावा में प्राप्त होना है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी,
नीम